न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मनोज कुमार, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 75/2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गेमा राम पुत्र खांगाराम जाति राईका निवासी मेवडा तहसील डेगाना जिला नागौर		1ग्राम पंचायत मेवडा, पंचायत समिति डेगाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मेवडा। 2चम्पादेवी पत्नी छीतरराम जाति राईका निवासी मेवडा तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति–

1. श्री डूंगरराम चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्याम कुमार व्यास, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 08.01.2020

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मेवडा द्वारा मिसल सं. 09/2012–13 में पारित प्रस्ताव/आदेश दिनांक 30.01.13 की पालना में अप्रार्थी सं. 2 चम्पादेवी के पक्ष में जारी पट्टा सं. 7624 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 08.09.17 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है तथा अप्रार्थी सं. 2 की ओर से श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत अलाय के पटटा सं. 7624 की फोटोप्रति, मौका जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के नोटिस की फोटोप्रति, जमाबंदी संवत 2066 की फोटोप्रति, नक्शा किस्तवार की फोटोप्रति, मिलान खसरा नं. की फोटोप्रति, तथा सनद की फोटोप्रति अप्रार्थी सं. 2 ने नक्शा संवत 1996 की फोटोप्रति, नक्शा भू प्रबन्ध विभाग, बीकानेर की फोटोप्रति, वर्तमान नक्शा की फोटोप्रति, माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के प्रकरण सं. 39/17 गोपी बनाम करणाराम के फर्द अहकाम दिनांक 14.07.17 से 2.11.17 तक की फोटोप्रति, प्रस्तुत अपील व प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, नामान्तरकरण सं. 403 की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, जमाबंदी खसरा नं. 893 की फोटोप्रति, ट्रेस नक्शा की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 21.03.14 की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी डेगाना के आदेश की फोटोप्रति, ट्रेस नक्शा की फोटोप्रति तथा खसरा मिलान की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)– निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्वान्तों व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यो के विपरीत होने से सर्वथा नियम विरूद्व है जो सरसरी तौर पर ही निरस्तनीय है।

2(2)– पत्रावली सं. 09/2012–13 में पारित प्रस्ताव/आदेश दिनांक 30.01.13 बिना अधिकारिता का होने एवं ग्राम पंचायत मेवडा को ऐसा आदेश पारित करने की विधि में कोई शक्तियां निहित नही होने के कारण प्रस्ताव/आदेश दिनांक 30.01.13 अवैध एवं विधि विरूद्व होने से निगरानीधीन पटटा निरस्तनीय है।

2(3)– अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 के समक्ष आवेदन पेश कर दिनांक 19.12.12 को पेश कर पटटा विलेख प्राप्त करने हेतु कार्यवाही कर ग्राम पंचायत मेवडा द्वारा विधि विरूद्व रूप से बिना कोई खसरा भूमि में पटटे की वास्तविक लोकेशन नही बताते हुए निगरानीधीन पटटा जारी किया। जिससे भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन पटटा बिना किसी कब्जे के, बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जारी किया गया है। जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

2(4)– अप्रार्थी सं. 2 निगरानीधीन पटटे को खसरा नं. 895 गै.मु. गोचर का जारी होने की धमकी दी है। खसरा नं. 895 गै.मु. गोचर भूमि ग्राम पंचायत मेवडा के अधीन नही थी न ही राज्य सरकार ने ऐसी भूमि या इस भूमि के किसी भाग को ग्राम पंचायत मेवडा को आबादी के लिये किसी आदेश से सौंपी, इस प्रकार से ग्राम पंचायत मेवडा ने बिना किसी हक अधिकार के जो भूमि पंचायत की अधिकारिता में निहित नही करती थी और पटटा विलेख जारी कर दिया है। जो बिना क्षेत्राकिधकार के है। इसलिये निरस्तनीय है।

2(5)– निगरानीधीन पटटा जारी करने से पूर्व उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व भी अप्रार्थी सं. 1 द्वारा कोई सूचना, नोटिस विधिवत तरीके से जारी नही किया न ही सार्वजनिक रूप से कोई आपति आदि प्रकाशित करवाई, मात्र पंचायत कार्यालय में बैठ कर खानापूर्ति कर विधि विरूद्व रूप से निगरानीधीन पटटा जारी किया। जो निरस्तनीय है।

3– वकील अप्रार्थी सं. 2 द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि–

3(1)– निगरानीकर्ता ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पक्ष मे जारी पटटा सं. 7616 को निरस्त करने बाबत निगरानी पेश की है।

3(2)– विवादित खसरा नं. 893 जिसके साबिके खसरा नं. 709 है उक्त खसरा नं. 709 रकबा 32 बीघा मे से रकबा 2 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत मेवडा को दी गई जिसका नामान्तरकरण सं. 403 स्वीकार हुआ।

3(3)– तत्पश्चात आबादी मे दी गई उक्त 2 बीघा भूमि खसरा नं. 893 को आबादी की खसरा नं. 1201 के चिपते हुए राजस्व नक्शे मे तरमीम कर दिया गया। उक्त भूमि तरमीम होने के पश्चात दिनांक 21.03.14 को हल्का पटवारी व आरआई द्वारा मौका रिपोर्ट भी तैयार की गई। जिसमे निगरानीकर्ता की भूमि उक्त आबादी से बाहर अतिक्रमण के रूप मे बतायी हुई है।

3(4)– खसरा नं. 893 गै.मु. आबादी के रूप मे ग्राम पंचायत मेवडा के अधिकार क्षेत्र मे होने से ग्राम पंचायत मेवडा अलग अलग लोगो को विधि अनुरूप पटटा जारी कर दिये।

3(5)– उक्त पटटे जारी होने के पश्चात उक्त आबादी भूमि खसरा नं. 893 के पूर्वी तरफ जिन लोगो के अतिक्रमण थे जिसमे निगरानीकर्ता भी शामिल है। उन्होने उपखण्ड अधिकारी डेगाना के समक्ष खसरा नं. 893 आबादी भूमि को पूर्वी तरफ तरमीम किये जाने के संबंध मे आवेदन पेश किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 12.12.15 के जरिये खसरा नं. 893 को नक्शे मे खसरा नं. 895 के पूर्वी दक्षिणी कोने पर तरमीम किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकारो एवं ग्राम पंचायत मेवडा को न पक्षकार बनाया न ही सुनवाई का अवसर दिया। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी ने जिनको कि आबादी को अन्य जगह तरमीम करने का अधिकार नही था। फिर भी उन्होने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त आदेश पारित कर दिया एवं जहां पूर्व मे खसरा नं. 1201 के चिपते हुए आबादी तरमीम की गई थी। उसको गै.मु. गोचर घोषित कर दिया। जिसकी जानकारी होने पर रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष निगरानी पेश की। जो विचाराधीन है।

3(6)– उपखण्ड अधिकारी डेगाना द्वारा मूल आबादी खसरा नं. 893 का स्थान परिवर्तन कर देने से अब निगरानीकर्ता उस आदेश की आड मे रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पटटे को निरस्त करवाना चाहते है जबकि अधि. का आदेश अभी अंतिम नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष विचाराधीन निगरानी सं. 39/17 के अंतिम निर्णय तक उक्त कार्यवाही स्थगित किया जाना उचित व न्याय संगत है। क्योकि यदि संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 2 की निगरानी स्वीकार कर ली जाती है। ऐसी स्थिति मे न्यायालय हाजा द्वारा किया गया निर्णय रेस्पोडेन्ट सं. 2 के हितो को प्रभावित करेगा।

4– पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रकरण में ग्राम पंचायत मेवडा द्वारा पत्रावली सं. 09/12–13 मे पारित प्रस्ताव / आदेश दिनांक 20.01.13 के अप्रार्थी सं. 2 चम्पादेवी पत्नी छीतरराम के पक्ष मे जारी पटटा सं. 7624 को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विवादित खसरा नं. 893 साबिका खसरा नं. 709 से बना है तथा साबिका खसरा नं. 709 रकबा 32 बीघा गै.मु. गोचर मे से 2 बीघा भूमि नामान्तरकरण सं. 403 के द्वारा वर्ष 1975 मे गै.मु. आबादी के रूप मे दर्ज हुई है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 12.12.15 के द्वारा उक्त आबादी भूमि खसरा नं. 893 को नक्शे मे खसरा नं. 895 के पूर्वी दक्षिणी कोने पर तरमीम किये जाने के आदेश पारित किये जाने की स्थिति मे नक्शे मे परिवर्तन हुआ है। जिसकी न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर मे निगरानी सं. 39/17 गोपी व अन्य बनाम करणाराम न्यायालय मे लम्बित है। जिसमे निगरानीकार पक्षकार भी है। इस तथ्य को लेकर दोनो पक्षो मे कोई विरोधाभास नही है। प्रकरण मे मुख्य विवाद आबादी हेतु घोषित की गई भूमि की पूर्व मे की गई तरमीम एवं वर्तमान हाल भू प्रबन्ध के पश्चात उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.15 के तरमीम का स्थान बदलने को लेकर है तथा यह विवाद वर्तमान मे संभागीय आयुक्त न्यायालय मे विचाराधीन है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से पटटा जैर निगरानी जारी करने से पूर्व वार्ड पंचो की गठित कमेठी की रिपोर्ट दिनांक 5.1.13 व आपत्ति मांगने का सूचना पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है एवं ग्राम पंचायत मेवडा की बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 6.4.11 से 20.2.13 के पेज सं. 79 के अनुसार बैठक कार्यवाही दिनांक 5.1.13 के प्रस्ताव सं. 3 के अनुसार पेज सं. 80–81 के प्रस्ताव सं. 6 के अनुसार अप्रार्थी सं. 2 चम्पा को पटटा जारी करने का प्रस्ताव पारित किया जाना अभिलेख से प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार कर प्रकरण ग्राम पंचायत मेवडा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त ऑबरवेशन को ध्यान मे रखते हुए न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर मे विचाराधीन अपील के निर्णय के प्रकाश मे एवं आराजी भूमि आया आबादी क्षेत्र की ही हो, का सही निर्धारण कर पक्षकारो को सुनवाई का अवसर देते हुए नवीन आदेश / प्रस्ताव पारित किया जावे।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर